

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 139 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 मार्च 2021—फाल्गुन 18, शक 1942

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2021

क्र. एफ 4-3-2021-उन्नीस-1.—चोर बाजारी निवारण और अत्यावश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 07) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सशक्त करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2021

क्र. एफ 4-3-2021-उन्नीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना  
क्र. एफ 4-3-2021-उन्नीस-1, दिनांक 9 मार्च, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

Bhopal, the 9<sup>th</sup> March 2021

No. F 4-3-2021-XXIX-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 (7 of 1980), the State Government, hereby, empowers Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary, Government of Madhya Pradesh, Food Civil Supplies and Consumer Protection Department to exercise the powers conferred under section 3 of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
B. K. CHANDEL, Dy. Secy.